न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 06 / 2018

सुरेशचन्द उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत गांवडी तहसील कांमा जिला भरतपुर

.....

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 19–1–2018 बाबत प्रकरण संख्या 125 / 17

निर्णय **दिनांक 9.4.2018**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 19–1–2018 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। उनका कहना है कि डीलर ने उपभोक्ता मगरी / लल्लू को जून से अगस्त 2016 तक 25 किग्रा गेहूं व विगत 6 माह की लेवी चीनी का वितरण किया गया है, जो पोस मशीन की आन लाईन ट्राजेक्शन रिपोर्ट से साबित है। उपभोक्ता निसार खान / मुहर खान एवं अन्य उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के हिसाब से सामग्री का पोस मशीन से वितरण किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि पोस मशीन से आन लाईन वितरण के कुछ समय बाद कोई उपभोक्ता रंजिस वश या किसी अन्य के बहकावे में आकर झूठी शिकायत की गई है। तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को ही सही माना गया है जो नियमों के खिलाफ है उनका तर्क है कि तहत न्यायालय में प्रवर्तन निरीक्षक भी एक पक्ष है। उनके द्वारा शिकायत की जांच की जाकर तहत न्यायालय में पेश की गई है। तहत न्यायालय ने प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच की सत्यता के लिये साक्ष्य को तलब कर परीक्षण नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि कभी कभी उपभोक्ता राशनकार्ड नहीं लाते हैं या राशनकार्ड घर पर अभी नहीं मिल रहा कर राशन सामग्री देने को धमकी देते हैं, कहते हैं राशन

सामग्री खत्म हो जावेगी तू हमको राशन सामग्री देदे बाद में राशनकार्ड में चढवा ले जावेंगे। उनका कहना है कि ग्रामीण परिवेश में उपभोक्ताओं की इस समस्या से डीलर को दोचार होना पड़ता है। इसमें डीलर की कोई बदनीयत नहीं हैं। उनका यह भी तर्क है कि डीलर को खिलाफ कोई कालाबाजारी करने का या कालाबाजारी करते हुये पकड़े जाने जैसा कोई आरोप नही है। अपीलान्ट डीलर ने अपने जबाब के साथ उपभोक्ता हनीफ पुत्र रहीम खां का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इन पांच उपभोक्ताओं ने रंजिशवश डीलर पर दबाब बनाने के लिये ग्रांमवासीयान की ओर से झूठी शिकायत की गई है जिसकी पुष्टी में सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य ने तहत न्यायालय में पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। जिस तहत न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नियमों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, अपीलान्ट डीलर की सप्लाई चालू किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। अपीलान्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उन्होने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2018 का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डीलर के खिलाफ लगाये गये आरोपों में शिकायतकर्ता निषारखान पुत्र मुहरखान, रहीस पुत्र मोहर, फारुख पुत्र मोहर खां, आसमोहम्मद पुत्र सौराव, एवं उपभोक्ता हनीफ पुत्र रहीम खां को डीलर द्वारा पोस मशीन से वितरण किया गया है। परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक की जांच में इन उपभोक्ताओं ने सामग्री नहीं दिया जाना, कम दिया जाना राशनकार्ड में सामग्री का इन्द्राज नहीं करने का अपने बयानों में आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता उक्त उपभोक्ताओं के लिये गये बयान के आधार पर डीलर द्वारा राशन सामग्री का दुरुपयोग करने का दोषी मानते हुये कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर डीलर के खिलाफ कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट डीलर के खिलाफ अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2018 पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2018 के पेज 4 के अन्तिम पैरा में अपना मत अंकित किया है कि:–

> ''.....उपभोक्ता निसारखान पुत्र मुहर खान ....., रहीस पुत्र मोहर....., फारुख पुत्र मोहर खां...., आसमौहम्मद पुत्र सौराव, हनीफ पुत्र रहीम खॉ, अकबर पुत्र नूर मौहम्मद के राशनकार्ड पर राशन सामग्री नहीं दिये जाने का आरोप निर्धारित किया गयाथा। अप्रार्थी डीलर ने इन उपभोक्ताओं में से अपने

जबाब के साथ श्री हनीफ पुत्र रहीम खां का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें शपथ पत्र

.....3

प्रस्तुतकर्ता ने डीलर से राशन सामग्री प्राप्त होना स्वीकार किया है। अप्रार्थी डीलर ने हनीफ के राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत भी की है जिससे उपभोक्ता को माह मई, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर 2016 की वितरित की गई राशन सामग्री का इन्द्राज है। अप्रार्थी डीलर शेष उपभोक्ता निसार खान पुत्र मुहर खान, रहीस पुत्र मोहर, फारुख पुत्र मोहर खा, आसमौहम्मद पुत्र सौराव, अकबर पुत्र नूर मौहम्मद के पुष्ट साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं कर सका है जिसके कारण अप्रार्थी डीलर पर निर्धारित किये गये आरोप स्थापित रहते हैं। अप्रार्थी डीलर ने सरंपच ग्रांम पंचायत गांवडी एवं पंचायत समिति सदस्य ग्रांम पंचायत गांवडी के पत्र भी प्रस्तुत किये हैं जिसमें उन्होने राजनीतिक रंजिशवश शिकायत करना अंकित किया है इससे यह कहीं भी सिद्व नहीं होता है कि उपभोक्ता निसार खान पुत्र मुहर खान, रहीस पुत्र मोहर, फारुख पुत्र मोहर खां, आसमोहम्मद पुत्र सौराव, अकबर पुत्र नूरमोहम्मद को अप्रार्थी डीलर के द्वारा राशन सामग्री दी गई है .....।''

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ छः उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ ग्राम रसूलपुर के उपभोक्ताओं को सामग्री नहीं दिये जाने/कम दिये जाने की जनरल शिकायत की गई है। शिकायत प्रार्थना पत्र में छः उपभोक्ताओं ने शिकायत पर हस्तक्षार किये हुये हैं, जिनमें से एक शिकायतकर्ता हनीफ ने तहत न्यायालय में डीलर से सामग्री प्राप्त करने का शपथ पत्र पेश कर दिया गया है यानि उसे डीलर से अब कोई शिकायत नहीं है। जब कि डीलर का कहना है कि सामग्री वितरण पोस मशीन से किया गया है। डीलर पर लगाये गये आरोपों को तहत न्यायालय ने किसी साक्ष्य सबूत के आधार पर आरोपों को सिद्व नहीं किया गया है। तहत न्यायालय में प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की हैसीयत से पक्षकार है। तहत न्यायालय ने प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच की सत्यता के लिये साक्ष्य तलब कर उनका परीक्षण नहीं किया गया है। उक्त पॉच शिकायतकर्ताओं एवं अन्य उपभोक्ताओं को भी तलब कर सत्यता का परीक्षण किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश में सरंपच ग्रांम पंचायत गांवडी एवं पंचायत समिति सदस्य के पत्र को मध्य नजर रखते हुये विस्तृत जांच की जाकर तहत न्यायालय को परीक्षण उपरान्त अपना विस्तृत अभिमत व्यक्त करना चाहिये था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर के खिलाफ कालाबाजारी एवं गबन जैसा कोई आरोप नहीं पाया गया है। केवल डीलर द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण तहत न्यायालय ने आरोपों को सिद्व माना है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्व हो जावें। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है, परीक्षण न्यायालय को साक्ष्य एवं सबूतों का परीक्षण कर स्पष्ट किया जाना चाहिये था। अस्तु अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रकरण में पुनः परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

.....4

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2018 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में पुनः परीक्षण कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को सुनाया गया ।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official